उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय
यू0सी0एफ सदन,दीपनगर रोड, विष्णुविहार,
अजबपुर कलां, देहरादून।

पत्रांक 740 /एच0क्यू0/ ।।–निःशक्तजन/सुविधा/23 दिनांक 03 जनवरी, 2024

समस्त डिपो सहायक महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

विषयः–दिव्यांगजनों को सीट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निगम मुख्यालय के पत्र संख्या 285 दिनांक 14.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि आयुक्त महोदय, मा0 न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्र संख्या 102 दिनांक 03.06.2023 एवं वाद संख्याः 01/2023–24 के क्रम में प्रेषित है तथा निगम मुख्यालय के उक्त पत्र द्वारा आपको निम्न निर्देश दिये गये हैः–

1. राज्य परिवहन निगम की सभी बसों में दिव्यांगजनों हेतु सीट चिन्हित की जाये।
2. प्रत्येक चालक व परिचालकों को दिव्यांग यात्रियों के प्रति मानवीयता से व्यवहार करने के निर्देश निर्गत किये जायें।
3. उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में यात्रा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पहले तक दिव्यांगजन हेतु चिन्हित सीट पर अन्य यात्री को आवंटित न की जायें। यात्रा के दौरान किसी दिव्यांग यात्री के बस में आने पर उसे चिन्हित सीट दिये जाने का दायित्व परिचालक का होगा।

वर्तमान में मा0 न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड के कार्यालय के पत्र संख्या 315 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा निगम मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ परिचालक द्वारा दिव्यांगजनों के साथ मानवीयतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है तथा दिव्यांगजनों से बार–बार शिकायतें प्राप्त हो रही है।

उक्त से यह प्रतीत होता है कि निगम मुख्यालय के पत्र संख्या 285 दिनांक 14.06.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों का डिपो स्तर पर शत–प्रतिशत अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि आप उक्त संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करते हुए पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें तथा उसकी अनुपालन आख्या निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त परिचालकों को नोट करवाना/निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि वे दिव्यांगजनों के साथ मानवीयतापूर्ण व्यवहार करें।

(दीपक जैन)
महाप्रबन्धक(संचालन)
निगम मुख्यालय।

प्रतिलिपिः–
1. आयुक्त महोदय, मा0 न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या 315 दिनांक 12.12.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक(प्रशासन) महोदय, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक(प्रवर्तन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून को सूचनार्थ।
5. मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून मण्डल/ नैनीताल काठगोदाम–मण्डल/टनकपुर मण्डल को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।
6. उप महाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, आई0एस0बी0टी0 देहरादून/कश्मीरी गेट/आनन्द विहार दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक(संचालन)
निगम मुख्यालय।